

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 56/2015 श्री जगजी बनाम श्री कमलेश

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07-02-2018	<p>अपील अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बागीदोरा दिनांक 30-06-2015 प्रकरण संख्या 18/2007 वाद</p> <p>-----</p> <p>वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर अपील उजरात पर विचारण किया तो यह प्रकट आया कि प्रकरण में पत्रावली दिनांक 30-6-2015 को साक्ष्य वादी में नियत थी। दिनांक 2-7-2015 को लोक अदालत में वादी की अनुपस्थिति में आदेशिका पर अंकित किया गया कि साक्ष्य वादीगण में वादीगण की और से दावा ही साक्ष्य है, जबकि वादीगण के अथवा उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर एवं उपस्थिति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस दिनांक को प्रतिवादीगण के संयुक्त बयान दर्ज कर साक्ष्य दोनों पक्ष की बन्द करने का उल्लेख करते हुए बहस सुनकर प्रकरण में दिनांक 13-7-2015 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया तथा विस्तृत आदेश से निर्णय दिनांक 30-6-2015 अंकित की गई है। जबकि आदेशिकानुसार दिनांक 30-6-2015 के बाद 2-7-2015 तथा 13-7-2015 की दो और पेशियां होकर निर्णय दिनांक 13-7-2015 को सुनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय व स्थापित विधिक प्रक्रिया के पारित किया गया है।</p> <p>अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30-06-2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिवत साक्ष्य लेकर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 09-04-2018 को उपस्थित हों।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(एल.एन. मंत्री) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 56/2015 श्री जगजी बनाम श्री कमलेश

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 56/2015 श्री जगजी बनाम श्री कमलेश

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 56/2015 श्री जगजी बनाम श्री कमलेश

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गणेश लाल नागदा पिता
श्री कालूलाल नादा निवासी
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल
के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने
तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
उदयपुर (राज0)
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत सहायक कलक्टर मु0.....
..... उदयपुर मुकाम मुखर्षे.....27..... माह02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 15..... माह06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
हाजरीश्री सत्य प्रकाश व्यास मिनजानिब अपीलान्त वश्री संजय बोहरा
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित
(Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक
27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिंगX.... रूपये..... Xअदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुकमनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 56/2015 श्री जगजी बनाम श्री कमलेश

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गांगा पिता देवा डंगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य -2

बनाम श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालतभू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारीउदयपुर मुकाम मुखर्ष.....08.....
माह07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 25..... माह05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
हाजरीश्री मन्नाराम डंगी मिनजानिब अपीलान्ट वश्री
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि प्रकरण में
वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन
किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण
संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.
800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर
आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिंगX.... रुपये..... Xअदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुकमनामा					
8. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।